2026 की परिपत्र सं. 5

फा. सं. 370142/17/2026-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(टीपीएल प्रभाग)
******

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

विषय : विशेष अधिसूचित क्षेत्रों (एसएनजेड) में अपरिष्कृत हीरों के विक्रय के लिए सेफ हार्बर नियमों के संबंध में स्पष्टीकरण

आयकर नियम, 2026 के नियम 99-102 में, अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम, 2025 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 9(9)(ग)(ii)(ग) में निर्दिष्ट किसी अधिसूचित विशेष क्षेत्र में अपरिष्कृत हीरों के विक्रय के व्यापार में संलग्न, किसी विदेशी कंपनी, पात्र निर्धारिती के तौर पर, के लिए सेफ हार्बर का प्रावधान किया गया है। विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में अपरिष्कृत हीरों के विक्रय के लिए सेफ हार्बर नियमों के क्रियान्वयन के संबंध में बोर्ड को कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इन प्रश्नों पर विचार करने के बाद, बोर्ड अधिनियम की धारा 239 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करता है, अर्थात् :—

प्रश्न 1	क्या किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणपत्र के साथ आयात किए गए सभी हीरे (छांटे गए तथा बिना छांटे गए) "अपरिष्कृत हीरों" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं?
उत्तर	आयकर नियम, 2026 के नियम 99(च) में "अपरिष्कृत हीरे" को परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा के अनुसार, अपरिष्कृत हीरे से अभिप्राय ऐसे हीरों से है, जो— (i) बिना कटे या बिना पॉलिश किए हुए हों; (ii) बिना छांटे हुए हों; (iii) जिन पर कोई प्रसंस्करण न किया गया हो या जिन्हें केवल आरी से काटा गया हो, विभाजित किया गया हो या प्रारंभिक रूप दिया गया हो; (iv) किम्बरली प्रक्रिया के अनुसार संघर्षजनित हीरे न हों; (v) निर्यातक देश में किम्बरली प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा जारी किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणपत्र के साथ हों; तथा (vi) सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 7102 के अंतर्गत आते हों। उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि छांटे गए हीरे "अपरिष्कृत हीरों" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त, किसी हीरे को "अपरिष्कृत हीरा" माने जाने के लिए नियम 99(च) के सभी उपखंडों का एक साथ पूरा होना आवश्यक है और केवल किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणपत्र का होना पर्याप्त नहीं होगा।
प्रश्न 2	सेफ हार्बर नियमों के अंतर्गत घोषित लाभ पर कौन सी कर दरें लागू होंगी? क्या सेफ हार्बर नियमों के अंतर्गत लागू कर-दरों का भुगतान करते समय विदेशी खनन कंपनियां कटौतियों का लाभ प्राप्त कर सकती हैं? यदि हां, तो उसका विवरण क्या होगा?

उत्तर	लागू होने वाली दर विदेशी कंपनी पर लागू होने वाली दर (अर्थात् 35 प्रतिशत) और अधिभार, जहां भी लागू हो, होगी। सेफ हार्बर नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई पात्र निर्धारिती (विदेशी कंपनी) पात्र व्यापार (अधिसूचित क्षेत्र में अपरिष्कृत हीरों का विक्रय) से प्राप्त सकल प्राप्तियों का न्यूनतम 4 प्रतिशत लाभ आय के रूप में घोषित करता है, तो ऐसी घोषणा सेफ हार्बर के लिए पात्र होगी। अर्थात् ऐसी घोषणा को आयकर प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, विदेशी खनन कंपनियां सेफ हार्बर नियमों का लाभ प्राप्त करते हुए कटौतियों का लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी। यह स्थिति आयकर नियम, 2026 के नियम 100(3) में स्पष्ट रूप से उपबंधित है।
प्रश्न 3	क्या विदेशी खनन कंपनियां जिन्होंने सेफ हार्बर नियमों का विकल्प चुना है, भारत तथा उनके क्षेत्राधिकार वाले देश के बीच दोहरे कराधान परिहार समझौते (डीटीएए) के अंतर्गत भी लाभ का दावा कर सकेंगी?
उत्तर	एक बार कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सेफ हार्बर को चुनें जाने पर अर्थ है कि उसने उन नियमों के अनुसार कर का भुगतान किया है। यदि ऐसी कंपनी अपने मूल क्षेत्राधिकार वाले देश में ऐसे करों के संबंध में किसी कर-क्रेडिट का लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो वह भारत तथा उस देश के बीच डीटीएए तथा उस देश के घरेलू कानून के अनुसार ऐसा कर सकती है।
प्रश्न 4	किन परिस्थितियों में विदेशी खनन कंपनी द्वारा सेफ हार्बर नियमों के लिए प्रयोग किया गया विकल्प अमान्य घोषित किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में विदेशी खनन कंपनी के लिए क्या उपाय उपलब्ध होंगे?
उत्तर	आयकर नियम, 2026 के नियम 101(3) के अनुसार, नियमों के लिए विदेशी खनन कंपनी द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प अमान्य घोषित किया जा सकता है यदि सेफ हार्बर का लाभ संबधित व्यापार से जुड़े गलत तथ्यों या जानकारी देकर लिया गया हो।
प्रश्न 5	क्या पात्र निर्धारिती का भारत में निगमित होना आवश्यक है?
उत्तर	सेफ हार्बर व्यवस्था विदेशी खनन कंपनी के लिए उपलब्ध है। सेफ हार्बर नियमों का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका भारत में निगमित होना आवश्यक नहीं है। वस्तुत; भारत में निगमित हो जाने पर वह कंपनी भारतीय कंपनी बन जाती है और परिणामस्वरूप अपरिष्कृत हीरों के विक्रय के संबंध में सेफ हार्बर नियमों का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नही होती है।
प्रश्न 6	क्या पात्र निर्धारिती खरीदार के साथ प्रत्यक्ष रूप से या किसी भारतीय व्यापारी के माध्यम से व्यापार कर सकता है?
उत्तर	अपरिष्कृत हीरों के विक्रय के लिए सेफ हार्बर नियम विदेशी खनन कंपनी के लिए उपलब्ध हैं। कंपनी का स्वयं इस व्यावसायिक गतिकानून में संलग्न होना आवश्यक है। जहां कोई भारतीय व्यापारी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होता है, वहां दो संस्थाएं, अर्थात् भारतीय व्यापारी तथा विदेशी खनन कंपनी होंगी। भारतीय व्यापारी के लाभ का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पृथक रूप से किया जाएगा।
प्रश्न 7	क्या विदेशी खनन कंपनियां कर वर्ष 2024-25 (अर्थात् अप्रैल, 2024 से) की संपूर्ण अवधि के लिए सेफ हार्बर व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर सकती हैं या यह लाभ केवल अधिसूचना जारी होने की तिथि से, अर्थात् 20 नवम्बर, 2024 के पश्चात की अवधि तक ही सीमित रहेगा?
उत्तर	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92 गख [इसके निरसन से पूर्व प्रवृत्त] में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध किया गया था कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9(1)(i) में निर्दिष्ट आय का निर्धारण सेफ हार्बर नियमों के अनुसार होगा। यह पूरे पूर्ववर्ती वर्ष 2024-25 के लिए लागू था। इसलिए, विदेशी खनन कंपनियां आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण पूर्ववर्ती वर्ष 2024-25 की अवधि हेतु सेफ हार्बर व्यवस्था का लाभ उठा सकती हैं।
प्रश्न 8	क्या भारत में अपरिष्कृत हीरों के क्रेता द्वारा विदेशी खनन कंपनियों को देय विक्रय प्रतिफल के संबंध में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करना आवश्यक होगा?
उत्तर	हां। टीडीएस से संबंधित प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे विदेशी कंपनियों पर लागू होते हैं।
प्रश्न 9	सेफ हार्बर नियमों का विकल्प न चुनने वाली विदेशी खनन कंपनी पर कौन-सी कर व्यवस्था लागू होगी?
उत्तर	जिस विदेशी खनन कंपनी ने सेफ हार्बर नियमों का विकल्प नहीं चुना है, वह प्रासंगिक डीटीएए, जहां लागू हो, के साथ पठित अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कर हेतु वसूलनीय रहेगी।

(रोहित सिंह)
अवर सचिव (टीपीएल-I)
सीबीडीटी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी तथा राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी
2. वित्त सचिव के निजी सचिव
3. राजस्व सचिव के निजी सचिव
4. अध्यक्ष तथा सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
5. संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव, सीबीडीटी
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
7. संयुक्त सचिव एवं कानूनी सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
8. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
9. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी
10. प्रधान महानिदेशक (पद्धति) – विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

(रोहित सिंह)
अवर सचिव (टीपीएल-I)
सीबीडीटी, नई दिल्ली